मानसिक स्वास्थ्य कानून 2007 (Mental Health Act 2007)

वर्ग 74 (3) (Section 74 (3))

सूचीपत्र 3 मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में रखे गए व्यक्तियों के अधिकारों का वर्णन

अधिकारों का वर्णन

आपके अधिकार

अपने अधिकारों के बारे में जानकारी पाने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में आने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है, इस बारे में जानने के लिए नीचे लिखे गए प्रश्नों और उत्तरों को पढ़ लें।

मेरे मानसिक स्वास्थ्य सेवा में पहुँचने के बाद क्या होता है?

आपके मानसिक स्वास्थ्य सेवा में पहुँचने के 12 घंटे के भीतर स्वास्थ्य केंद्र के एक चिकित्सक द्वारा आपकी जांच की जानी चाहिए।

यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा में पहले से ही स्वैच्छिक रूप से एक रोगी हैं, और आपको बताया गया है कि अब आपको, अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वास्थ्य सेवा में रखा जाएगा, तो यह निर्णय - कि आपको सेवा केंद्र में रहना होगा - लेने के 12 घंटे के भीतर सेवा केंद्र के चिकित्सक द्वारा आपका परीक्षण किया जाएगा।

मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कब रखा जा सकता है?

आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में रखा जा सकता है यदि केंद्र का चिकित्सक प्रमाणित करता है कि आप मानसिक रोगी (mentally ill person) हैं या आपको कोई मानसिक विकार (mentally disordered person) है। चिकित्सक ही यह निर्णय लेगा कि आप मानसिक रोगी हैं या आप किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसे कोई मानसिक रोग होता है और उसे उसकी सुरक्षा या अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में रखने की ज़रूरत होती है। मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जिसके व्यवहार से प्रकट होता है कि उसे उसकी सुरक्षा या अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में थोड़ी अवधि के लिए रखने की ज़रूरत है।

सेवा केंद्र, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको लगातार नहीं रख सकता, जब तक कि कम से कम एक अन्य चिकित्सक की जांच से पता न लगे कि आप मानसिक रोगी या मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति हैं। जो चिकित्सक आपकी जांच कर रहे हैं उनमें से एक मनोचिकित्सक होना चाहिए।

मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कब तक रखा जा सकता है?

यदि यह पता लगता है कि आप मानसिक विकार से पीड़ित हैं, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में केवल

3 दिनों तक के लिए रखा जा सकता है (सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश इसमें शामिल नहीं हैं)। इस दौरान 24 घंटे में कम से कम एक बार आपकी जांच चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए। मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति के रूप में आपको केंद्र में एक महीने में तीन बार से अधिक नहीं रखा जा सकता।

यदि पता लगता है कि आप मानसिक रोगी हैं, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में तब तक रखा जाएगा जब तक आप मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल (Mental Health Review Tribunal) में नहीं जाते, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करेगा और यह निर्णय लेगा कि आपके साथ क्या किया जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र से मैं कैसे बाहर निकल सकता/सकती हूँ?

आप, या आपका मित्र या रिश्तेदार, किसी भी समय मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट (medical superintendent) या अन्य अधिकृत मेडिकल ऑफिसर से आपको बाहर निकालने के लिए कह सकते हैं। यदि आप मानसिक रोगी या मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं या मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट अथवा अन्य अधिकृत मेडिकल ऑफिसर सोचता है कि आपके लिए कोई अन्य उपयुक्त देखभाल सेवा समुचित रूप से उपलब्ध है, तो आपको बाहर निकालने की अनुमति दी जा सकती है।

यदि मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति आपको बाहर निकलने के लिए मना कर देता है, तो आप या आपके लिए बाहर निकलने हेतु पूछने वाला कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल में इस मनाही के विरुद्ध अपील कर सकता है।

क्या मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा उपचार किया जा सकता है?

सेवा केंद्र के कर्मचारी आप न चाहें तो भी, आपकी मानसिक दशा के लिए या आपातकाल में आपके जीवन की रक्षा करने के लिए अथवा आपके स्वास्थ्य को होने वाली हानि को रोकने के लिए आपको उपयुक्त चिकित्सीय उपचार दे सकते हैं। यदि आप पूछना चाहें कि आपका उपचार कैसे किया जा रहा है तो सेवा केंद्र के कर्मचारियों को आपको बताना होगा। आपको ज़रूरत से ज़्यादा और अनुपयुक्त दवाइयां नहीं दी जानी चाहिए।

यदि आप ऑपरेशन के लिए सहमति नहीं देते हैं परंतु आपका निर्दिष्ट देखभालकर्ता और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव (Secretary of the Ministry of Health) इस बात से सहमत हैं कि ऑपरेशन करना आपके हित में है, तो आपका ऑपरेशन किया जा सकता है।

क्या मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध इलेक्ट्रो कन्वल्सिव उपचार (ECT) दिया जा सकता है?

जी हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल अपनी सुनवाई में निर्णय लेता है कि आपकी सुरक्षा और कल्याण के लिए यह आवश्यक या वांछित है। आपको इस सुनवाई में उपस्थित होने का अधिकार है।

और अधिक जानकारी

आपको मानसिक स्वास्थ्य जांचों के बारे में तथा एक जांच के बाद आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको एक मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में कब रखा जा सकता है, इस बारे में पता लगाने के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों और उत्तरों को पढ़ना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब होता है?

जैसे ही आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में आपकी इच्छा के विरुद्ध रखने का निर्णय लिया जाता है क्योंकि आप एक मानसिक रोगी हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में क्या होता है?

मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल निर्णय लेगा कि आप मानसिक रोगी हैं या नहीं।

यदि मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल निर्णय लेता है कि आप मानसिक रोगी नहीं हैं, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा से बाहर निकाल दिया जाएगा।
यदि मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल निर्णय लेता है कि आप मानसिक रोगी हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल निश्चित करेगा कि आपके साथ क्या किया जाए। इस विषय पर विचार किया जाएगा कि आपको कम से कम प्रतिबंधित वातावरण में रखा जाए और प्रभावशाली तरीके से उपचार किया जाए। मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल आपकी इच्छा के बिना रोगी (INVOLUNTARY PATIENT) के रूप में आपको मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखने की आज्ञा दे सकता है (3 महीने से अधिक नहीं) या मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल आपको मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से मुक्त करने की आज्ञा भी दे सकता है। यदि आपको बाहर निकलने की अनुमति मिल जाती है, तो मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल आपके लिए किसी तरह के सामुदायिक उपचार का आदेश दे सकता है जिसके तहत बाहर निकलने के बाद आपको एक विशेष प्रकार का उपचार लेना पड़ सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल 14 दिन तक सर्वेक्षण स्थगित कर सकता है, अगर उसे लगता है कि इसमें आपकी भलाई है।

यदि मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल आदेश देता है कि आपको बिना आपकी इच्छा के रोगी के रूप में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रहना होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने वित्तीय मामलों की व्यवस्था कर सकेंगे या नहीं। यदि मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट नहीं है कि आप इस योग्य हैं, तो आपके वित्तीय मामलों की व्यवस्था के लिए न्यू साउथ वेल्स ट्रस्टी और अभिभावक क़ानून *2009 (NSW Trustee and Guardian Act 2009)* के अंतर्गत एक आदेश दिया जाएगा।

मानिसक स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ के लिए मुझे क्या अधिकार प्राप्त हैं?

आप मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल को बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं या जो आप चाहते हैं, अपने वकील से मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल को बताने के लिए कहें। आप आम आदमी की तरह कपड़े पहन सकते हैं, एक दुभाषिये की मदद ले सकते हैं और एक नामित देखभालकर्ता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जोकि आपका मुख्य देखभाल प्रदाता है, रिश्तेदार व दोस्तों को इस पूछताछ में साथ रख सकते हैं। आप अपना मेडिकल रिकॉर्ड देखने के लिये आवेदन भी कर सकते हैं।

यदि मुझे बिना मेरी इच्छा के रोगी बना दिया गया है तो मेरे अपील करने के क्या अधिकार हैं?

आप (आपका देखभालकर्ता या मित्र अथवा रिश्तेदार) किसी भी समय मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट या अन्य अधिकृत मेडिकल ऑफिसर से आपकी छुट्टी करने की मांग कर सकता है। यदि मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट या अन्य अधिकृत मेडिकल ऑफिसर मना करता/करती है या 3 दिन तक उत्तर नहीं देता है तो आप (या आपका देखभालकर्ता अथवा मित्र या रिश्तेदार मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकते हैं।

आपको अपने अधिकारों के संदर्भ में बताने के लिए एक नोटिस दिया जाएगा।

क्या होता है जब बिना मेरी इच्छा के मुझे रोगी घोषित करने के आदेश की सीमा का समय लगभग समाप्त होने वाला होता है?

सेवा केंद्र का मेडिकल विभाग आदेश का समय समाप्त होने के पहले आपकी स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और मानसिक स्वास्थ्य सेवा या तो आपको छुट्टी दे देगी या मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल में अगले आदेश के लिए आवेदन करेगी। यदि ट्रिब्यूनल निर्णय लेता है कि आप मानसिक रोगी नहीं हैं या उसे लगता है कि कोई अन्य देखभाल अधिक उपयुक्त है और आसानी से उपलब्ध है तो वह आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा से निकलने की अनुमित दे सकता है।

मैं किससे सहायता माँग सकता/ती हूँ?

आप सुविधा केंद्र के किसी भी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, आधिकारिक आगंतुक, पादरी, अपने ख़ुद के वकील या लॉ ऐक्सेस (LawAccess) न्यू साउथ वेल्ज़ से सहायता मांग सकते/ती हैं। लॉ ऐक्सेस (LawAccess) न्यू साउथ वेल्ज़ का टेलीफ़ोन नंबर है 1300 888 529

क्या मैं एक आधिकारिक आगंतुक से मुलाकात कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप किसी आधिकारिक आगंतुक से मिलना चाहते/चाहती हैं, तो आप सुविधा के किसी भी स्टाफ सदस्य से पूछ सकते/सकती हैं। स्टाफ आधिकारिक आगंतुक से मुलाकात के लिए व्यवस्था करेगा।

क्या मैं अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से मेरे बदले कार्यवाही करने के लिए कह सकता/सकती हूँ?

जब आप मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में होते/होती हैं, तो आप अधिकतम 2 व्यक्तियों को अपने नामित देखभालकर्ता के रूप में नामांकित कर सकते/सकती हैं, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो आपका मुख्य देखभालकर्ता भी है। एक नामित देखभालकर्ता या ऐसा व्यक्ति जो आपका मुख्य देखभालकर्ता है, आपके लिए सूचना मांग सकता है और यदि आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में रखा जाता है तो उसे सूचित किया जाएगा। वह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पूछताछ के तहत आपके स्थानान्तरण और छुट्टी तथा प्रस्तावित विशेष मानसिक स्वास्थ्य उपचार या शल्य चिकित्सा संबंधी ऑपरेशन के बारे में जानकारी ले सकता है। आप और आपका नामित देखभालकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका मुख्य देखभालकर्ता है, उसे आपकी छुट्टी के बाद की देखभाल संबंधी सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है।

क्या ट्रिब्यूनल के सामने अच्छे से उपस्थित होने में मेरी सहायता की जाएगी?

जी हाँ, केंद्र के कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक किया गया है कि ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति से पहले वे यह सुनिश्चित करें कि जहाँ तक संभव हो सके, आप को उचित, आम पहने जाने वाले कपड़े और सजने-संवरने की आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएँ, जिसमें दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त उपकरण और मेक-अप का सामान शामिल हैं।